

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग 11, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 41/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 6 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप धारा (1) तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त अधिनियम, 2018, (2018 का 13) की धारा 110 और 112 के साथ पठित, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को, जो कि नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में निर्दिष्ट है, उक्त सारणी के कॉलम (3) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट सीमा तक संशोधित करती है, यथा-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	11/2018- सीमा शुल्क, दिनांक फरवरी 02, 2018, जिसे सा .नि.का.114(अ) , दिनांक 02 फरवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।	उक्त अधिसूचना में,- (i) शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के उपवाक्य 108, जो कि कर का अनंतिम संकलन अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अंतर्गत उक्त वित्त विधेयक में घोषित हो जाने के नाते कानून की शक्ति प्राप्त हो गया है" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110" को प्रतिस्थापित किया जाएगा । (ii) "वित्त विधेयक के उक्त उपवाक्य के अंतर्गत" शब्दों के स्थान पर "उक्त वित्त अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्गत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।
2.	12/2018- सीमा शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018, जिसे सा .नि.का. 115(अ) , दिनांक 02 फरवरी,	उक्त अधिसूचना में,- (i) शब्द, अंक और कोष्ठक "वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के उपवाक्य 108,

	<p>2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।</p>	<p>जो कि कर का अनंतिम संकलन अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अंतर्गत उक्त वित्त विधेयक में घोषित हो जाने के नाते कानून की शक्ति प्राप्त हो गया है” के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p> <p>(ii) “वित्त विधेयक के उक्त उपवाक्य के अंतर्गत” शब्दों के स्थान पर “उक्त वित्त अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्गत” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p>
<p>3.</p>	<p>13/2018- सीमा शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018, जिसे सा .नि.का. 116(अ) , दिनांक फरवरी 02, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।</p>	<p>उक्त अधिसूचना में,-</p> <p>(i) शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के उपवाक्य 108, जो कि कर का अनंतिम संकलन अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अंतर्गत उक्त वित्त विधेयक में घोषित हो जाने के नाते कानून की शक्ति प्राप्त हो गया है” के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110” को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p> <p>(ii) “वित्त विधेयक के उक्त उपवाक्य के अंतर्गत” शब्दों के स्थान पर “उक्त वित्त अधिनियम की उक्त धारा के अंतर्गत” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p>
<p>4.</p>	<p>21/2018- सीमा शुल्क, दिनांक 02 फरवरी, 2018, जिसे सा .नि.का. 124(अ) , दिनांक फरवरी 02, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।</p>	<p>उक्त अधिसूचना में,-</p> <p>(i) शब्द, अंक और कोष्ठक “वित्त विधेयक, 2018 (2018 का 4) के उपवाक्य 110, जो कि कर का अनंतिम संकलन अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अंतर्गत उक्त वित्त अधिनियम में घोषित हो जाने के नाते कानून की शक्ति प्राप्त हो गया है” के स्थान पर शब्द, अंक और</p>

		<p>कोष्ठक "वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112" को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p> <p>(ii) "वित्त विधेयक, 2018 के उक्त उपवाक्य 110" शब्दों के स्थान पर "वित्त अधिनियम, 2018 की उपर्युक्त धारा 112" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।</p>
--	--	---

[फाइल संख्या 354/04/2018-टीआरआयू भाग]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार